



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

15 चैत्र 1943 (श0)
(सं0 पटना 252) पटना, सोमवार 5 अप्रैल 2021

सं. वि. प्रा. (II) स्था. -03/2020/1064
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

संकल्प

31 मार्च 2021

विषय:—विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत सात अभियंत्रण महाविद्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना “तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम—तृतीय चरण (Technical Education Quality Improvement Programme -Phase-III) के अन्तर्गत राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक (NPIU) द्वारा चयनित एवं अस्थायी ईंगेजमेंट के रूप में नियोजित सहायक प्राध्यापकों की सेवा को प्राप्त करने के लिए परियोजना समाप्ति की तिथि 31.03.2021 के पश्चात पूर्व से जारी शर्त के अधीन दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक अथवा अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, राज्य योजना के अधीन परियोजना का अवधि विस्तार की स्वीकृति।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत सात अभियंत्रण महाविद्यालयों यथा एम.आई.टी. मुजफ्फरपुर, बी.सी.ई. भागलपुर, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, चण्डी एवं लोकनायक जयप्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विश्व बैंक सम्पोषित परियोजना “तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम—तृतीय चरण (Technical Education Quality Improvement Programme-Phase-III) कार्यान्वित है।

- “तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम” परियोजना का मुख्य उद्देश्य है—संस्थानों के प्रयोगशाला, कार्यशाला, पुस्तकालय आदि का आधुनिकीकरण किया जाना, संस्थानों की गुणवत्ता को वैश्विक स्तर पर लाये जाने के लिए संचालित पाठ्यक्रमों का अनिवार्य एक्क्रेडिटेशन नेशनल बोर्ड ऑफ एक्क्रेडिटेशन से कराया जाना ताकि एक्क्रेडिटेशन के पश्चात संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा सके।
- “तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम—तृतीय चरण” के लिए चयनित संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों के एक्क्रेडिटेशन हेतु आवश्यक पीएच.डी. प्राप्त नियमित/संविदा शिक्षकों की संख्या निर्धारित अनुपात से कम होने के कारण मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित एम.ओ.यू. के आधार पर राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक (NPIU) द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आवेदन प्राप्त कर अन्य राज्यों सहित बिहार राज्य के लिए

- तीन वर्ष अथवा परियोजना समाप्ति की तिथि, जो भी पहले हो, तक के लिए प्रतिमाह रु. 70,000/- (सत्तर हजार रुपये) मात्र मानदेय (पॉरफॉरमेन्स के आधार पर 3% वार्षिक वृद्धि के साथ) के आधार पर बिहार राज्य अन्तर्गत आच्छादित 7 (सात) अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए कुल 216 (दो सौ सोलह) सहायक प्राध्यापक उपलब्ध कराया गया। इनके मानदेय पर होने वाले शत-प्रतिशत व्यय का वहन परियोजना अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में उपलब्ध सूचनानुसार इनमें से 198 (एक सौ अठानवे) सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं।
4. सात अभियंत्रण महाविद्यालय में कार्यान्वित "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-तृतीय चरण (Technical Education Quality Improvement Programme-Phase-III) दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हो रहा है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक (NPIU) द्वारा चयनित एवं अस्थायी ईंगेजमेंट के रूप में कार्यरत 198 सहायक प्राध्यापकों की सेवा भी समाप्त हो जाएगी।
 5. राज्य के अभियंत्रण महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के रिक्त 1376 पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को अध्याचना प्रेषित है।
 6. परियोजना समाप्ति की तिथि 31.03.2021 के पश्चात राज्य के सात अभियंत्रण महाविद्यालयों में अस्थायी ईंगेजमेंट के रूप में कार्यरत 198 (एक सौ अठानवे) सहायक प्राध्यापक की सेवा नहीं लिए जाने की स्थिति में संबन्धित संस्थानों की शिक्षण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तथा तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-तृतीय चरण में प्राप्त उपलब्धियों की निरंतरता भी प्रभावित होगी।
 7. परियोजना समाप्ति की तिथि 31.03.2021 के पश्चात पूर्व से जारी शर्त के अधीन अस्थायी ईंगेजमेंट के रूप में कार्यरत उक्त सहायक प्राध्यापकों की सेवा को दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक प्राप्त किए जाने पर राज्य स्कीम के अधीन कुल रु. 1805.76 लाख (अठारह करोड़ पांच लाख छिहतर हजार रुपये) मात्र का व्यय अनुमानित है।
 8. सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार ने राज्य स्कीम के अधीन उक्त योजना के अनुमानित व्यय पर सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की शर्त के साथ विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत सात अभियंत्रण महाविद्यालय में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित विश्वबैंक सम्पोषित परियोजना "तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता उन्नयन कार्यक्रम-तृतीय चरण (Technical Education Quality Improvement Programme -Phase-III) के अन्तर्गत राष्ट्रीय परियोजना कार्यान्वयन एकक (NPIU) द्वारा चयनित एवं अस्थायी ईंगेजमेंट के रूप में नियोजित सहायक प्राध्यापकों की सेवा को प्राप्त करने के लिए परियोजना समाप्ति की तिथि 31.03.2021 के पश्चात पूर्व से जारी शर्त के अधीन दिनांक 01.04.2021 से 31.03.2022 तक अथवा अभियंत्रण महाविद्यालयों के लिए सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, राज्य योजना के अधीन परियोजना का अवधि विस्तार करने का निर्णय लिया है।
 9. यह संकल्प मंत्रिपरिषद की दिनांक 31.03.2021 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-30 पर लिये गए निर्णय के आलोक में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या- वि. प्रा. (II) स्था. -03/2020 के पृ. 6-7/टि. पर प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
ह० अस्पष्ट,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 252-571+10-डी0टी0पी0
Website: <http://egazette.bih.nic.in>